आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
	अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जो अभिलेख मे संलग्न है। जमाबंदी रैयत महीउद्दीन मियाँ खाँ पिता सफरली मियाँ खाँ के पक्ष में प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँचोपरांत (चेकलिस्ट) में प्रतिवेदन प्राप्त है , जो बिन्दुवार निम्नवत है:– **खतियान की स्थिति**:– मौजा लरता, थाना नं0 39 के सर्वे खतियान में खाता सं0 94 गैरमजुरूआ खास दर्ज है। **पंजी ii की स्थिति** :– मांग पंजी ii पृष्ट सं0 75 में दर्ज जमाबंदी रैयत महीउद्दीन मियाँ खाँ पिता सफरली मियाँ खाँ के नाम से खाता सं0 94 रकबा 6.04 एकड़ भूमि का प्राधिकार कॉलम में आधार दर्ज नहीं है, मांग पंजी 2 में लगान की प्रवृष्टि नहीं की गई है। **भूमि का वर्तमान स्वरूप**:– स्पष्ट नहीं है। **दखल कब्जा कि स्थिति**:–जमाबंदी रैयत व वंशजों का उक्त खाता नं0 94 रकबा 6.04 एकड़ भूमि पर दखल कब्जा स्पष्ट नहीं है। **स्थल जॉच**:– जमाबंदी रैयत मौजा लरता में नहीं रहते हैं। तथा खाता नं0 94 रकबा 6.04 एकड़ भूमि पर दखल कब्जा स्पष्ट नहीं है। जमाबंदी रैयत के पक्ष में कोई भी सदस्य उपस्थिति नहीं हुए। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आवलोकन से ज्ञात होता है कि जमाबंदी रैयत मौजा लरता में नहीं रहते हैं। प्रतिवेदनानुसार पंजी ii के पृष्ट सं0 75 में दर्ज खाता सं0 94 रकबा 6.04 एकड़ भूमि का साक्ष्य के रूप में अधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त भूमि की जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गई है। अनुशंसा के आधार पर प्रश्नगत भूमि मौजा लरता थाना नं0 39, खाता सं0 94 रकबा 6.04 एकड़ भूमि को उक्त कारणों के आधार पर अवैध जमाबंदी को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे। लेखापित संशोधित। 29/10/2020 अंचल अधिकारी कर्रा। 29/10/2020 अंचल अधिकारी कर्रा।	